

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना


पटना-15, दिनांक: 06 फरवरी, 2020

संख्या-1/पी0-1001/2020(खण्ड)सा0प्र0-1907/श्री तनय सुल्तानिया, भा0प्र0से0 (2017), अनुमण्डल पदाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर, पटना के पद पर इस शर्त के पदस्थापित किया जाता है कि राज्य में सम्प्रति संचालित निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य से संबंधित अंतिम निर्वाचक सूची के प्रकाशन की तिथि के बाद ही वह वर्तमान पदस्थापन से विरमित होंगे।

2. संबंधित पदाधिकारी को आलोच्य नवपदस्थापन हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) के तहत संबंधित जिला के लिए धारा-144 का प्रयोग करने की शक्ति प्रदत्त रहेंगी।

3. उपर्युक्त स्थानांतरण/पदस्थापन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



6.2.2020

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 1/पी0-1001/2020(खण्ड)सा0प्र0-1907 /पटना-15, दिनांक: 06 फरवरी, 2020

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली /स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/श्री एच0 आर0 श्रीनिवास, भा0प्र0से0, सचिव, निर्वाचन विभाग-सह-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना/श्री चन्द्र भूषण कुमार, उप निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001/भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001 के पत्र दिनांक-05.02.2020(434/एलईटी/बीआर-एचपी/ईएस-1/2020) के प्रसंग में श्री राकेश कुमार, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय, नई दिल्ली/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग (कम्प्यूटर सेल)/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 6 एवं 12 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


6.2.2020

सरकार के अवर सचिव।